



जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 3058 दिनांक 25/1/08

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन होने के बाद उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में दूसरे कुएं पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन, पंचायत समिति के किसी भी गांव में दूसरे कुएं पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन तथा कनेक्शन स्थानान्तरण होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण।

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित दिनांक 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 22 (ii) के प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन का स्थान परिवर्तन एवम् कनेक्शन होने के बाद परिस्थिति वश कनेक्शन वही रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कृषि कनेक्शन उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में दूसरे कुएं पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है तथा बिन्दु संख्या 22 के पैरा संख्या (iii) व निगम आर०ई०ओ०-109 एवं 119 के अनुसार उसी पंचायत समिति में दूसरे गांव में भी स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्तें उस भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिए। इसी प्रकार जिन कृषकों को कुएं हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन हुई है उनका कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण भी उपरोक्त नियम के अन्तर्गत उसी पंचायत समिति क्षेत्र में किया जा सकता है।

इस संबन्ध में समन्वय समिति की दिनांक 06.12.07 को आयोजित 112वीं बैठक में विस्तृत चर्चा कर यह तय किया गया है कि कृषि कनेक्शन होने एवं स्थानान्तरण होने के पश्चात कम से कम दो वर्ष तक कहीं पर भी कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण/पुनः स्थानान्तरण नहीं किया जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(ए. एम. लोढा)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड टी डब्ल्यू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
 - मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्ल्यू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
 - कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
 - अधिशासी अभियन्ता (/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविनिमिति.....
- (आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)